

- १ -

## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

खाद्य सुरक्षा वाद संख्या-05/2014

झारखण्ड राज्य सरकार

-बनाम्-

मेसर्स जी०के०कम्यूनिकेशन एवं अन्य

-::आदेश::-

03.05.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों का अवलोकन किया गया। दिनांक-09.12.2013 को मेसर्स जी० के० कम्यूनिकेशन (सेक्टर-8/ए, क्वा०नं०-1502 के सामने) में पेय/खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा 16 Litre LEHAR PEPSI sweetened carbonated water का sample लिया गया तथा उसे जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। जाँचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजा गया LEHAR PEPSI sweetened carbonated water के उपयोग करने की तिथि समाप्त हो चुकी है और वह उपयोग करने लायक नहीं है। उक्त के क्रम में अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक-292, दिनांक-02.09.2014 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा-26, 27, 48 एवं 58 के अन्तर्गत मेसर्स जी० के० कम्यूनिकेशन प्रो० दिलीप कुमार एवं मेसर्स एस०एम०भी० वेब्रेज, जमशेदपुर (निर्माता) के विरुद्ध संज्ञान लेने एवं अधिनिर्णयन की कार्यवाई हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

जिसके आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत कार्यवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो एवं विपक्षी सं०-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा दलील दी गई कि प्रश्नगत पेय पदार्थ के बोतल पर जो लेबल पाया गया उसमें स्पष्ट लिखा था कि **"Best before three months from manufacture"** इस पेय पदार्थ के उत्पादन की तिथि दिनांक 03.08.2013 अंकित थी, जिसके उपयोग की तिथि 03.11.2013 को समाप्त हो चुकी थी।



उसके बावजूद भी उक्त पेय पदार्थ को दूकान में रखना उनके बेचने/उपयोग करने की मंशा को दर्शाता है।

विपक्षी सं०-1 मेसर्स जी० के० कम्यूनिकेशन की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित रूप से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कम्पनी से प्रश्नगत पेय पदार्थों की आपूर्ति इस शर्त पर किया जाता है कि अनुपयोगी होने के पश्चात कम्पनी उसे वापस ले लेगी। इसलिए प्रश्नगत पेय पदार्थ दूकान में अलग रखा हुआ था ताकि उसे कम्पनी को वापस किया जा सके। वह बेचने/उपयोग करने हेतु नहीं रखा गया था। उनके द्वारा यह भी दलील दिया गया कि प्रश्नगत पेय पदार्थ के संबंध में किसी भी ग्राहक से उपयोग करने/खरीदने की शिकायत नहीं मिली है। दूकानदार गरीब व्यवसायी हैं उन्होंने विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई को स्थगित रखने हेतु अनुरोध किया है।

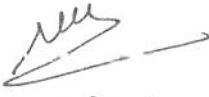
विपक्षी सं०-2 मेसर्स एरापएमजी० पेप्रेज की ओर से लिखित रूप से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा-27(2)(a) के अन्तर्गत "Wholesaler or Distributor shall be liable under this act for any article of food which is supplied after the date of expiry." यहाँ कम्पनी Manufacturer है न कि Wholesaler or Distributor. इस वाद में विपक्षी सं०-2 पर उक्त धारा लागू नहीं होता है। अतः उनके द्वारा विपक्षी के विरुद्ध चलाए जा रहे कार्रवाई से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संघारित कागजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत LEHAR PEPSI sweetened carbonated water के उपयोग करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद भी प्रतिवादी सं०-1 मेसर्स जी० के० कम्यूनिकेशन द्वारा प्रश्नगत पेय पदार्थ को एक लम्बी अवधि तक दुकान में रखा गया। उक्त पेय पदार्थ की वैद्यता समाप्त हो जाने की स्थिति में प्रतिवादी द्वारा उसे किसी अलग कर्णांकित स्थान पर रखा जाना चाहिए था तथा उस स्थान पर स्पष्ट रूप से उसके वैद्यता समाप्ति के संदर्भ में डिसप्ले बोर्ड भी लगाना चाहिए था किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्षी द्वारा जान-बूझकर उसे बेचने के उद्देश्य से ही अपने

दुकान/प्रतिष्ठान में रखा गया था। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं०-1 अनुपयोगी/वैद्यता समाप्त प्रश्नगत पेय पदार्थ को बेचने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा- 27 के अन्तर्गत निश्चित रूप से दोषी है। जबकि विपक्षी सं०-2 मेसर्स एस०एम०भी० वेब्रेज, जमशेदपुर (निर्माता) द्वारा दाखिल कारण पृक्षा संतोषजनक प्रतीत होता है।

अतः वर्णित परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा-58 के तहत विपक्षी सं०-1 मेसर्स जी० के० कम्यूनिकेशन पर रू० 5000.00 (पाँच हजार) मात्र जुर्माना किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से जुर्माना की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा Deputy Commissioner-cum-Adjudicating Officer, Bokaro के पक्ष में 15 दिनों के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी जाती है एवं वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन कराने हेतु अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो को भेजें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
अधिनिर्णयण पदाधिकारी

-सह-

जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

  
अधिनिर्णयण पदाधिकारी

-सह-

जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।